पत्र संख्या–**HPFD-F05/98/2024-FCA-**
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषकः नोड़ल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषितः क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय),
उप कार्यालय सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड,लौंगबुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश–1710001

दिनांक शिमला–1

विषयः **Diversion of 1.668 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of road from Shamshar to Chalohan Kms. 0/000 to 3/240, within the jurisdiction of Ani Forest Division, Distt. Kullu, Himachal Pradesh. (Proposal No. FP/HP/Road/151416/2022)-reg**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर 8B/HP/06/131/2019/FC/59 दिनांक 30/04/2021के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

| शर्तें | उत्तर |
|---|---|
| **A. वे शर्तेंजिनकाराज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-**<br>**पए** प्रयोत्का ऐजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की जमा राशि जमा करावाई जाए । | प्रयोत्का ऐजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करावा ली है। |
| **पपए** राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी। | राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी। बचन बद्वता संलग्न हैं । |
| **पपपए** WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननिय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10. 2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय , भारत सरकार , नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC ( vol-I ) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 1.668 हेक्टेयर की नैट वैल्यु जमा करवाई जाए । | WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननिय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28. 03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय , भारत सरकार , नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC ( vol-I ) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 1.668 हेक्टेयर की नैट वैल्यु जमा करवाई जाए । |
| **पअए** प्रयोत्का एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण वन एवं वन जलवाय परिवर्तन मत्रांलय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाई जाए। | प्रयोत्का एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण वन एवं वन जलवाय परिवर्तन मत्रांलय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा कर ली गई है। |
| **अए** पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/ ) मे अपलोड की जाए। | पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/ ) मे अपलोड की गई। |
| **अपए** प्रयोत्का एजेंसी को यह सुनिच्श्रित करना है कि | प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, वन एंन पी वी, आदि) वेब |

| | |
|---|---|
| प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, वन एंन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में विकार नहि किया जाएगा । | पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए गए है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए गए हैं। |
| **अपपए** प्रयोत्का एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि सभांग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए Stage-I पहले ही **स्वीकृत** किया जा चुका है, Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि **"इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है"** प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए अनिवार्य होगा । | इस आशय का एक वचन पत्र कि **"इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है"** प्रयोक्ता अभिकरणर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। |
| **अपपपए** FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा । | FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा । |
| **B. वे शर्तेंजिनकाराज्य वनविभाग द्वारा प्रयोत्का एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फिल्ड में कडाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अडंरटेकिंग के रुप में अनुपालन स्टेज–।। अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जानाहै।**<br>पए वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदलि नही जाएगी। | वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदलि नही जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है। |
| पपए काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की सख्यां किसी भी रुप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दोरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यदि Muck Dumping Site के प्रस्ताव में सम्मिलित है, तो वहा का कोई भी वृक्ष पातन नहीं किया जाएगा। | काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की सख्यां किसी भी रुप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षोंकी कटाई के दोरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है। |
| पपपए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार 3.336 ha Toposheet No. H43F7 UPF Kutwa C-176, Chowal Forest Range, Ani Forest Division at Luhri, Distt. Kullu प पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रुप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monocultural नहीं होगा। | राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार 3.336 है0 प्रस्तावित वन भूमि पर पौधों के पौधोरोपण का कार्य किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया कर दिया है । अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रुप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monocultural नहीं होगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है। |
| पअए वन मण्डलाधिकारी यह सुनिशिचित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधोरोपण और अतिरिक्त प्रतिपूरक पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे। | वन मण्डलाधिकारी द्वारा यह सुनिशिचित किया जाएगा कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधोरोपण और अतिरिक्त प्रतिपूरक पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे। |
| अए नोडलअधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करेगा कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधोरोपण और अतिरिक्त प्रतिपूरक पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे। | नोडलअधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधोरोपण और अतिरिक्त प्रतिपूरक पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे। |
| अपए राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौपने से पहले FSI के ई–ग्रीन पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण | राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौपने से पहले FSI के ई–ग्रीन पोर्टल में प्रतिपूरक |

| | | |
|---|---|---|
| | के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल को अपलोड की जाएगी। | वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल को अपलोड की जाएगी। इस सन्र्दभ की बचनबद्वता संलगन है। |
| अपपण | वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाऐ गये उदेश्य के अलावा किसी अन्य उदेश्य के लिए नहीं किया जायेगा। | वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाऐ गये उदेश्य के अलावा किसी अन्य उदेश्य के लिए नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है। |
| अपपपण | माननिय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों अनुसार, जब कभी भी NPV की राशी बढाई जाएगी तो उस बढी हुई NPVकी राशी को जमा करने के लिए प्रयोत्का एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी राशी जमा करना सुनिच्श्रित करेंगे। | माननिय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों अनुसार, जब कभी भी NPV की राशी बढाई जाएगी तो उस बढी हुई NPV की राशी को जमा करने के लिए प्रयोत्का एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी राशी जमा करना सुनिच्श्रित करेंगे। इस सम्बन्धा में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है। |
| पगण | एवेंन्यू वृक्षा रोपण, सडक के दोनो ओर व मध्य भाग पर आई आर सी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा। | एवेंन्यू वृक्षा रोपण, सडक के दोनो ओर व मध्य भाग पर आई आर सी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है। |
| गण | स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। | स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है। |
| गपण | केंद्रिय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले–आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा। | केंद्रिय सरकारकिअनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है। |
| गपपण | वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा। | वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है। |
| गपपपण | प्रयोत्का एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोत्का एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशी उपलब्ध करायी जायेगी। | प्रयोत्का एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोत्का एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशी उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है |
| गपअण | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथनहीं बनाया जाएगा। | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है। |
| गअण | प्रयोत्का एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्य रत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकताहै। | प्रयोत्का एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्य रत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकताहै। इस सम्बन्धा में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है। |
| गअपण | प्रयोत्का एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिसंरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। | प्रयोत्का एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिसंरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है। |
| गअपपण | स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पिछे लिखे गए क्रम संख्या वाले 4 फिट उंचे सीमेंट के खंब्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी। | स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पिछे लिखे गए क्रम संख्या वाले 4 फिट उंचे सीमेंट के खंब्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है। |
| गअपपपण | संरक्षित क्षेत्रों/वनों क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सडक के किनारे स्पीड रेगुलेटिगं साइनेज लगाए जाएंगे। | संरक्षित क्षेत्रों/वनों क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सडक के किनारे स्पीड रेगुलेटिगं साइनेज लगाए जाएंगे। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है। |
| गपगण | प्रयोक्ता ऐजेंसी CWLW/NBWL/FC/RC की सिफारिश के अनुसार संरक्षित क्षेत्र वन क्षेत्र में | प्रयोक्ता ऐजेंसी CWLW/NBWL/FC/RC की सिफारिश के अनुसार संरक्षित क्षेत्र वन क्षेत्र में उपयुक्त |

| | | |
|---|---|---|
| | उपयुक्त अडंर पास उपल्बध कराएगी। | अडंर पास उपल्बध कराएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है। |
| गगण | यदि आवश्यक हो तो प्रयोत्का एजेंसी पर्यावण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी। | यदि आवश्यक होतो प्रयोत्का एजेंसी पर्यावण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी। |
| गगपण | कूडा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जाएगा। | कूडा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जाएगा। |
| गगपपण | इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत की अवधि ा प्रयोत्का एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह–समाप्ति होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। |
| गगपपपण | अन्य कोइ भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जा सकती है। | प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। |
| गगपअण | यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुछेद आदि तथा विकास हेतु होते हैं तो उनके अधिन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। |
| गगअण | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वनसंरक्षण अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। |

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

Signed by
Sanjay Sood
नोडल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफसीए)हि0प्र0
Date: 07-08-2024 16:55:28